

पत्र संख्या-१३/वि०मं०-३९/२०२४ सा० २०१/

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

योगेन्द्र ठाकुर,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
गृह विभाग, बिहार, पटना ।

पटना-१५, दिनांक - ०८ जुलाई, २०२४


विषय - मा० श्रीमती शशि यादव, स०वि०प० द्वारा बिहार विधान परिषद् के २०७ वें सत्र में पूछा जाने वाला ऑन-लाईन अल्पसूचित प्रश्न संख्या-०१/२०७/२३९ के हस्तांतरण के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक बिहार विधान परिषद् सचिवालय के बेवसाईट से प्राप्त ऑन-लाईन अल्पसूचित प्रश्न संख्या-०१/२०७/२३९ द्वारा इस विभाग के लॉगिन में प्राप्त है । आलोच्य प्रश्न संख्या-०१/२०७/२३९ का विषयवस्तु "मजुफ्फरपुर में एक डी०बी०आर० फर्जी कम्पनी द्वारा रोजगार के नाम पर युवक-युवतियों से पैसे की ठगी, मार-पीट और यौन-शोषण की घटना के आलोक में पीड़िता द्वारा दर्ज मुकदमा के बावजूद अभियुक्त की गिरफ्तारी न होने, से संबंधित है ।" आलोच्य प्रश्न की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि आलोच्य ऑन-लाईन अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर ससमय बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय तथा इसकी प्रति सामान्य प्रशासन विभाग को भी दी जाए। इस आशय की सूचना बिहार विधान परिषद् सचिवालय, बिहार, पटना को दी जा रही है । अनु०-यथोक्त ।

विश्वसभाजन,




सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक-१३/वि०मं०-३९/२०२४ सा० २०१/पटना-१५, दिनांक ०८ जुलाई, २०२४

प्रतिलिपि-प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना के बेवसाईट से प्राप्त ऑन-लाईन अल्पसूचित प्रश्न संख्या-०१/२०७/२३९ के क्रम में प्रेषित तथा अनुरोध है कि उक्त अल्पसूचित प्रश्न को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की सूची से विलोपित कर गृह विभाग, बिहार, पटना की सूची में रखने की कृपा की जाय ।


२. उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।



सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक-१३/वि०मं०-३९/२०२४ सा० २०१/पटना-१५, दिनांक ०८ जुलाई, २०२४

प्रतिलिपि - आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



सरकार के अवर सचिव ।



अल्पसूचित प्रश्न डायरी संख्या:
1/207/239

01/07/2024

03/07/2024

03/07/2024

Member	उच्चस्तरीय न्यायिक जांच श्रीमती शशि यादव (विधान सभा)
Department	सामान्य प्रशासन

तारांकित प्रश्न सामान्य प्रशासन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मुजफ्फरपुर में एक फर्जी डीबीआर कंपनी द्वारा रोजगार के नाम पर सैकड़ों युवक-युवतियों से पैसे की ठगी, मारपीट और यौन शोषण की घटना उजागर हुई है;

(ख) क्या यह सही है कि इस मामले में अब तक एक पीड़िता ने कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन उसके मुख्य अभियुक्त मनीष सिन्हा की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है;

(ग) क्या यह सही है कि अन्य पीड़िता भय व लोक लाज के कारण मुकदमा दर्ज नहीं कर पा रही है;

(घ) क्या यह सही है कि सरकार ने अपने स्तर से जांच का कोई आदेश अब तक नहीं दिया है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार सभी पीड़िता का मुकदमा दर्ज करवाने और पूरे मामले की उच्चस्तरीय न्यायिक जांच कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

D.No-2289/2770-13
04/07/2024